

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Supply Revision No.- 235/2022****Dhrin Kumar Singh Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.11.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्ता, अररिया के आपूर्ति अपील वाद सं०-07/2021 में दिनांक-27.09.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इनके पक्ष में निर्गत जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं०-69F/2016 के वैध धारक हैं। ये अनुज्ञप्ति प्राप्ति पश्चात् बिना किसी शिकायत एवं आरोप के निष्ठापूर्वक दुकान का संचालन कर रहे थे। दिनांक-01.02.2020 को इनकी दुकान के निरीक्षण के क्रम में निम्न अनियमिततायें पाई गईं। खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर किया जाना और स्वयं अधिक मूल्य प्राप्त करने की बात स्वीकार करना, निरीक्षण के समय दुकान बंद पाया जाना, कैशमेमो की द्वितीयक प्रति उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना। उक्त के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-28 दिनांक-04.02.2020 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के समय ये दुकान पर उपस्थित रहकर निर्धारित मूल्यों पर इनके द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा था। किसी भी कार्डधारी द्वारा अधिक मूल्य लेने की शिकायत नहीं है। वितरित खाद्यान्नों की रसीद पॉश मशीन द्वारा दी जाती है। इनके दुकान पर जो रसीद पाई गई थी वो लाभुकों के उचित मूल्य की रसीद थी जो खाद्यान्न प्राप्ति पश्चात् फेंक दिया गया था। ज्ञात हो कि पॉश मशीन से एक ही रसीद निकलती है, उससे द्वितीय प्रति नहीं निकलती है। इनके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर कार्यालय ज्ञापांक-45 दिनांक-18.02.2020 द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके संबंध में उपरोक्त तथ्यों के अलावे इनका कथन है कि पॉश मशीन का कैशमेमो ही उपभोक्ताओं को दिया जाता है। दुकान पर पाई गई रसीद उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति पश्चात् फेंकी गई रसीद थी। स्थानीय राजनीति, विद्वेष एवं उनकी नाजायज माँग पूरी नहीं करने के कारण इस तरह का निराधार शिकायत किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये आनन-फानन में</p>	

ज्ञापांक-78 दिनांक-03.03.2020 द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध समाहर्ता, अररिया के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया जो सही नहीं है।

क्रमशः

लगातार
03.11.2023

इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे, मनमाना, अवैध एवं यांत्रिक रूप से पारित किया गया है जो विधि के दृष्टि में पोषणीय नहीं है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। स्थानीय जन प्रतिनिधि के नाजायज माँग की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण षड्यंत्र के तहत कुछ लाभार्थियों एवं ग्रामीण नेताओं को मेल में लाकर गलत शिकायत दर्ज किया गया है। इनके द्वारा कभी भी अधिक मूल्य लेना स्वीकार नहीं किया गया है। यदि ये शिकायत सही थी तो इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने चाहिए थी। यह पूर्णतः स्थानीय राजनीतिक विद्वेष की देन है। ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते रहे हैं। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

दूसरी तरफ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक-27.03.2023 को हस्ताक्षरित समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में कहा गया है कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को आवेदक के विरुद्ध दूरभाष पर शिकायतें प्राप्त हुई जिन्होंने दिनांक-01.02.2020 को दुकान का निरीक्षण किया। जिसमें उपयुक्त अनियमिततायें वर्णित है। निरीक्षण के क्रम में आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा अधिक मूल्य लिया जाता है। पॉश मशीन रसीद दुकान पर पाये जाने से विक्रेता द्वारा लाभुकों को ना देकर अपने पास रख लिया जाता था। विक्रेता का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया एवं सभी तथ्यों को अंकित करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद खारिज करने योग्य बताया गया है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक-01.02.2020 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता का निरीक्षण किया गया था। जिसमें उनके विरुद्ध कुल तीन अनियमिततायें प्रतिवेदित है। लाभुकों द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल का निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य लिया जाना बताया गया है और स्वयं आवेदक द्वारा भी निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य लिये जाने की बात बताई गई है तथा केशमो की द्वितीयक प्रति उपभोक्ता को नहीं देने की अनियमितता प्रतिवेदित है। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित दोनों स्पष्टीकरण में अधिक मूल्य लिये जाने की स्वीकारोक्ति का उल्लेख कहीं भी नहीं है। बल्कि इनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण करने की बात कही गई है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी भी उपभोक्ता का ब्यान दर्ज नहीं किया गया है जिससे आवेदक के विरुद्ध प्रतिवेदित अनियमितता की पुष्टि हो सके। आवेदक

ने स्पष्ट किया है कि जो रसीद दुकान पर पाई गई वो लाभुकों के उचित मूल्य की रसीद थी जिसे खाद्यान्न प्राप्ति पश्चात् उनके द्वारा फेंक दिया गया था। आवेदक द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है।

निम्न न्यायालय अभिलेख में स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा—मुखिया, ग्राम पंचायत राज—हलहलिया, पंचायत सदस्या, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं कई कार्डधारी उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन अनुमंडल

क्रमशः

लगातार
03.11.2023

पदाधिकारी, फारबिसगंज को प्रेषित करते हुए आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं इन्हें वितरण कार्य पर बने रहने का अनुरोध किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। आवेदक के पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति सं०-69F/16 को पुर्नजीवित (Re-Stored) किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.